उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

शैक्षिक मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश

(इकाई परीक्षा, गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य)

(i) इकाई परीक्षा (Unit Test)

1. शिक्षा सत्र में कुल 04 इकाई परीक्षाऐं ली जायेंगी, जिसमें से 02 इकाई परीक्षायें अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व तथा 02 इकाई परीक्षायें अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद ली जायेंगी।
2. इकाई परीक्षा का आयोजन माह मई/जुलाई, अगस्त, नवम्बर, दिसम्बर/जनवरी में किया जायेगा।

नोट :–

- ❖ जिन विद्यालयों में दीर्घावकाश जनवरी माह में होगा, उन विद्यालयों में इकाई परीक्षा जनवरी के स्थान पर दिसम्बर में आयोजित होगी।
- ❖ कक्षा – 11 की इकाई परीक्षा अगस्त, सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर/जनवरी माह में आयोजित होंगी।

3. इकाई परीक्षाऐं निर्धारित माह के अन्तिम तीन कार्य दिवसों में सम्पादित की जायेंगी। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक समस्त परीक्षार्थियों को अवगत करा दें जिससे परीक्षार्थी परीक्षा हेतु मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इकाई परीक्षा दिवसों में इकाई परीक्षाओं के अतिरिक्त शेष समय में शिक्षण कार्य विधिवत जारी रहेगा तथा विद्यालय निर्धारित समय पर ही बन्द होगा।
4. प्रत्येक इकाई परीक्षा एक घण्टे की होगी, इसके अतिरिक्त 20 मिनट छात्रों को प्रश्न लिखने के लिए दिये जायेंगे।
5. प्रत्येक इकाई परीक्षा, परीक्षा तिथि से पूर्व किए गये इकाई शिक्षण कार्य के आधार पर ली जायेगी।
6. विषय अध्यापक प्रत्येक इकाई परीक्षा के प्रश्न–निर्माण में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक एवं अनुप्रयोगात्मक दक्षताओं के आधार पर अति लघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय/दीर्घउत्तरीय प्रश्नों का समावेश करेंगे। परीक्षा से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्यापक के द्वारा निर्मित प्रश्न–पत्र उपरोक्त निर्देशानुसार बना है या नहीं। प्रश्न–पत्र में प्रश्नों की पुनरावृत्ति कदापि नहीं की जायेगी।
7. इकाई परीक्षा हेतु छात्र प्रत्येक विषय के लिए अपनी अलग–अलग एक–एक नोट बुक रखेंगे, जिसमें समस्त इकाई परीक्षाओं का उत्तर लिखा जायेगा।
8. विद्यालय में गृह परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित होगा जो इकाई परीक्षाओं का संचालन उसी प्रकार करेगा, जैसा वार्षिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षा में किया जाता है। इकाई परीक्षाओं के सम्पन्न होने के 03 दिन के अन्दर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा अंक सूची गृह परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी के पास जमा की जायेगी। गृह परीक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी अंक सूचियों का अवलोकन प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से करायेंगे। विषय अध्यापक मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अवलोकित कराकर सम्बन्धित विषय के प्रश्न–पत्र का आदर्श हल भी करायेंगे तथा सम्बन्धित विषय अध्यापक उत्तर पुस्तिकाओं को अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
9. इकाई परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर विषय अध्यापक कमजोर छात्रों की सूची तैयार करके अपनी शिक्षक दैनन्दिनी में छात्रों के नाम अंकित करेंगे तथा एक प्रति प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को देंगे। इसके पश्चात ऐसे कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण आगामी कार्य दिवसों में किया जायेगा।
10. विद्यार्थियों को प्रथम इकाई परीक्षा में जो अनुकमांक आवंटित किया जायेगा, वार्षिक परीक्षा तक उसका अनुक्रमांक न बदला जाय।

11. प्रथम व द्वितीय इकाई परीक्षाओं (Unit Test) का औसत अर्द्धवार्षिक परीक्षाफल निर्माण में सम्बन्धित विषय में लिया जायेगा। इसी भाँति तृतीय व चतुर्थ इकाई परीक्षाओं (Unit Test) का औसत वार्षिक परीक्षाफल निर्माण में सम्बन्धित विषय में लिया जायेगा।
उदाहरण – यदि परीक्षार्थी प्रथम इकाई परीक्षा में 10 में से 08 अंक तथा द्वितीय इकाई परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो परीक्षार्थी का दोनो इकाई परीक्षाओं का औसत 04 अंक होगा।

12. यदि परीक्षार्थी अस्वस्थता के कारण किसी भी इकाई परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाचार्य उसके लिए अलग से इकाई परीक्षा करा सकते हैं।

(ii) गृह कार्य (Home Work) (कक्षा – 9 से 12)

गृह कार्य में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा–

a) गृह कार्य की नियमितता

b) निर्देशानुसार किया गया मात्रात्मक गृह कार्य

c) प्रश्नों के अनुसार उत्तरों की उपयुक्तता

d) अभिनवता (यदि विद्यार्थी नें उत्तार लिखते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त उत्तर हेतु सामग्री एकत्र की)

(ii) प्रोजेक्ट कार्य (Project Work) :–

❖ विद्यार्थी प्रत्येक विषय में विषयाध्यापक के निर्देशन में विषयगत प्रकरणों पर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी द्वारा विषय से सम्बन्धित प्रकरण पर रिपोर्ट/ मॉडल/ चार्ट/ संकलन/ शैक्षिक यात्रा–भ्रमण के दौरान एकत्रित विषयगत ज्ञान से सम्बन्धित आख्या आदि प्रकार के अभिनव प्रयोग को सम्मिलित किया जा सकता है।

इन कार्यो के मूल्यांकन हेतु विषय अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि प्रस्तुत किए गये प्रोजेक्ट में सम्बन्धित छात्र का अधिकतम योगदान है या नहीं। बाजार में उपलब्ध मॉडल हूबहू प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट का संरक्षण विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा भी प्रोजेक्ट का अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विषयाध्यापक द्वारा छात्रों को दिए गये अंक निर्देशानुसार/अंक विभाजनानुसार हैं अथवा नहीं।

प्रोजेक्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा :–

a) विषयवस्तु (क्या प्रोजेक्ट में प्रस्तुत सामग्री पाठ्यवस्तु से मेल खाती है या नहीं)

b) छात्र का परिलक्षित योगदान

c) प्रस्तुतीकरण/अभिलेखीकरण-(सुन्दरता, मितव्ययिता तथा उपयोगिता)

विद्यालय स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता एवं प्रशासनिक सुधार तथा गृह परीक्षाओं के परीक्षाफल निर्माण में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना है–

1. विद्यार्थियों को प्रथम इकाई परीक्षा से वार्षिक परीक्षा तक एक ही अनुक्रमांक आवंटित करना।

2. कक्षा 9 से 12 के लिए गृह कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य का प्रारूप तय करना।

3. कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए चतुर्थ इकाई परीक्षा को प्री–बोर्ड का स्वरूप दिया जाय।

प्रोन्नति के नियम

1. इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को, जिसका प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या उससे अधिक होगा, उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
2. कक्षा 9 व 11 के जो परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक दोनों परीक्षाओं के योग में दो विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उनको अधिकतम 08 अंक का कृपांक देकर प्रोन्नत घोषित किया जायेगा। कृपांक प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विषय में 25 प्रतिशत तथा कुल प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
3. जिन परीक्षार्थियों ने किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में इकाई परीक्षा सहित सभी विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों परन्तु अस्वस्थ होने के कारण किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में सम्मिलित न हो सका हो तो उनका परीक्षाफल इकाई परीक्षा, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थी को राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें 04 अंक का कृपांक देय होगा।
4. यदि परीक्षार्थी किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक या वार्षिक में से किसी एक परीक्षा) के सभी विषयों में सम्मिलित हुआ हो किन्तु दूसरी परीक्षा (वार्षिक या अर्द्धवार्षिक) में आंशिक रूप से सम्मिलित हुआ हो तो उसका परीक्षाफल दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित विषयों के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जायेगा। इस स्थिति में अधिकतम 04 अंकों का कृपांक देय होगा। विद्यार्थी को अनुपस्थित परीक्षाकाल के लिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर यदि परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा के आधार पर कक्षोन्नति दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हो तथा उसके वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 40 प्रतिशत हो।
6. कक्षा में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी वही परीक्षार्थी होगा जो इकाई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो तथा जिसके प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या अधिक हो।
7. कक्षा 9 में गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों भागों में मिलाकर 33 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। **परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा कुल मिलाकर न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हों। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों भागों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हुआ हो।**
8. कक्षा 9 में विज्ञान एवं **गृह विज्ञान** विषयों में सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक तथा इकाई परीक्षा में अंकों का योग 33 प्रतिशत होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। **परीक्षार्थी को नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा कुल मिलाकर न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हुआ हो।**
9. कक्षा 9 में (विज्ञान व **गृह विज्ञान विषय** को छोड़कर) अन्य सभी प्रायोगिक कार्य वाले विषयों मे परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों भागों में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा प्रत्येक भाग में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कृपांक पाने का अधिकारी होगा।

10. कक्षा 9 में द्वितीय भाषा एवं अतिरिक्त विषय के रूप में ली गयी भाषा में से जिस भाषा में परीक्षार्थी को अधिक अंक प्राप्त होंगे उस भाषा को द्वितीय भाषा मानकर परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

11. कक्षा 9 में अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विषय की भाषा में, जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा। इस प्रकार परीक्षाफल पाँच (05) मुख्य विषयों के आधार पर घोषित किया जायेगा।

12. कक्षा 11 में सभी प्रायोगिक कार्य वाले विषयों में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों भागों में पृथक–पृथक 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा प्रत्येक भाग में पृथक–पृथक 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कृपांक पाने का अधिकारी होगा।

13. परीक्षा तिथियों में विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी का परीक्षाफल सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित परीक्षाओं (इकाई परीक्षा, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) के आधार पर घोषित किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में सम्भावित स्थितियां निम्नवत् हैं –

(अ) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल द्वितीय सत्र के यूनिट टेस्ट सहित वार्षिक परीक्षा के आधार पंर घोषित किया जायेगा।

(ब) वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल प्रथम सत्र के यूनिट टेस्ट सहित अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।

(स) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर तथा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के कारण यदि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में आंशिक या पूर्ण रूप से सम्मिलित न हो सका हो तो ऐसी स्थिति में उन विषयों की परीक्षा सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पृथक रूप से ली जायेगी जिनमें कि परीक्षार्थी सम्मिलित न हो सका हो।

14. कक्षा 09 में विद्यार्थियों को उपस्थिति के लिए अधिकतम 02 अकों का बोनस दिया जायेगा। उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक तथा 85 प्रतिशत तक होने पर 01 अंक का तथा 85 प्रतिशत से अधिक होने पर 02 अंक का बोनस दिया जायेगा। बोनस अंक परीक्षार्थी के उस विषय में जोड़े जायेंगे जिस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों।

15. कक्षा 11 में प्रत्येक विषय में अधिकतम 02 अंक उपस्थिति के लिए निर्धारित किये गये हैं। उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक तथा 85 प्रतिशत तक होने पर 01 अंक का तथा 85 प्रतिशत से अधिक होने पर 02 अॅंक निर्धारित हैं।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के प्रोन्नति के नियम

1. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रोन्नति दी जायेगी।
2. उन विषयों में जिसमें प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य है, प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा अपने पंजीकरण केन्द्र में देनी होगी।
3. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए उपरोक्तानुसार अधिकतम 08 अंक का कृपांक अधिकतम 02 विषयों में दिया जायेगा।

कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं का अंक विभाजन विवरण

9th CLASS MARKS DISTRIBUTION

SUBJECT	TOTAL MARKS	THEORY	PRACTICAL	CCE / IA	TOOLS	MARKS
HINDI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
ENGLISH	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
SANSKRIT	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
MATHEMATICS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ACTIVITIES 3- PROJECT	10 05 05
HOME SCIENCE	**100**	**65**	**20**	**15**	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- PROJECT	10 05
SCIENCE	**100**	**70**	**20**	**10**	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10
SOCIAL SCIENCE	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- PROJECT 3- ASSIGNMENT	10 05 05
MUSIC	100	25	60	15	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT	10 05
PAINTING	100	50	-	50	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- CREATIVE PROJECT (TOTAL 4 PROJECTS) (Each Project Carries 20 Marks) (2 before & 2 after half yearly Examination)	10 40
ELEMENTS OF BUSINESS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK /CREATIVITY & INNOVATIVE IDEAS OF BUSINESS	10 10

ELEMENTS OF BOOK-KEEPING & ACCOUNTING	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10
					2- PRACTICAL ACCOUNTING (Maintainance of Account)	10
INFORMATION TECHNOLOGY	100	40	40	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10
					2- ASSIGNMENT / HOME WORK	10
URDU & OTHER LANGUAGES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ASSIGNMENT / HOME WORK 3- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING/ SPEAKING/ READING /WRITING)	10 06 04
AGRICULTURE	100	50	40	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10

11th CLASS MARKS DISTRIBUTION

SUBJECT	TOTAL MARKS	THEORY	PRACTICAL	CCE / IA	TOOLS	MARKS
HINDI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
ENGLISH	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
SANSKRIT	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
HISTORY	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 04 04
GEOGRAPHY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
ECONOMICS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 04 04

HOME SCIENCE	100	60	30	10	1-UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
POLITICAL SCIENCE	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- HOME WORK	10 02 04 04
PSYCHOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
SOCIOLOGY	100	70	20	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
EDUCATION	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 04 04
LOGIC	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 08
MILITARY SCIENCE	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
GEOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
MATHEMATICS	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK	10 02 08
PHYSICS	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
CHEMISTRY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
BIOLOGY	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
ACCOUNTANCY	100	80	-	20	1- PRACTICAL WORK 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT 4- VIVA	10 02 04 04

BUSINESS STUDIES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- PROJECT	08 02 10
COMPUTER	100	60	30	10	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
MUSIC	100	30	50	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination)	10
					2- INFORMATION AND PRESENTATION OF DIFFERENT KINDS OF MUSICAL INSTRUMENTS OR INFORMATION AND PRESENTATION OF DIFFERENT KINDS OF RAGAS 3- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85%	08 02
DRAWING & PAINTING	100	30	50	20	1- VIVA 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ANNUAL WORK / HOME WORK	08 02 10
URDU	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
PUNJABI	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04
OTHER LANGUAGES	100	80	-	20	1- UNIT TEST (2 before & 2 after half yearly Examination) 2- ATTENDANCE 02>85% & 01> 80% but <= 85% 3- ASSIGNMENT / HOME WORK 4- PRACTICAL SKILL (LISTENING WITH UNDERSTANDING / SPEAKING / READING / WRITING)	10 02 04 04

(डा0 दया कृष्ण मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)